FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0081 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/03/2026 10:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 22/03/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:45 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/03/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/03/2026 10:49:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** GAON NADI FALAN, MAMLI MANDWA JILA UDAIPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MOHANLAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HANKLA RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NADI FALAN MAMALI, MANDWA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NADI FALAN MAMALI, MANDWA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHALLARAM PATEL		पिता:BHINYARAM	1. JHANWAR,LUNI,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	NIRMAL KUMAR KHATRI		पिता:JAWANMAL	1. TOPAKHANE KE PICHHE,JALORE,JALORE,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	1 लाख रूपये भारतीय	8,00,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	चलन मुद्रा के नोट एवं 7 लाख रूपये डमी नोट	8,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2026 को समय करीब 12.30 पी.एम. जरिये सूत्र सूचना मन् पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत को जानकारी मिली की श्री कामाराम एवं श्री मोहनलाल व उसके पिताजी श्री हाकला तथा श्री कामाराम के काका का बेटा को पुलिस मांडवा के थानाधिकारी श्री निर्मल कुमार एवं श्री भल्लाराम कानि. द्वारा एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज् में प्रत्येक से 5 लाख रूपये के हिसाब चारो के 20 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग की जा रही है, तथा उक्त व्यक्ति निर्दोष है तथा गांव के पहाडी इलाके में निवासरत है तथा बहुत डरे होने एवं ज्यादा पढे लिखे नहीं होने से व आरोपी द्वारा रिश्वत हेतु ज्यादा दबाव बनाकर समय का अभाव होने से कार्यवाही हेतु उदयपुर आना संभव नहीं है। लेकिन आरोपियो को रिश्वत नहीं देना चाहते बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहते है । इसलिए अग्रिम कार्यवाही हेतु मांडवा से ही कुछ दूरी पहले ही श्री कामाराम एवं श्री मोहनलाल उपस्थित मिलेगे। इस पर मैने कार्यालय में पदस्थापित श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को जरिये व्हाट्सअप कॉल उक्त सूत्र सूचना के बारे में अवगत कराया तथा कार्यालय से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड लेकर शीघ्र ही रवाना हो मांडवा से पहले प्रधानजी के मकान पर श्री कामाराम एवं श्री मोहनलाल पिता श्री हाकंला निवासी नदी फला (मामली) उपस्थित मिलेगे, जिनसे सम्पर्क कर उनकी तरफ से रिपोर्ट प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कर अवगत करावे। तत्पश्चात् श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने जरिये व्हाट्सअप कॉल कर बताया कि मै आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड प्राप्त कर समय करीब 01.15 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय से जरिये निजी वाहन से रवाना होकर समय करीब 3.10 पी.एम. पर मांडवा से पहले प्रधानजी के मकान पर पहुचा, जहां पर श्री कामाराम एवं श्री मोहनलाल पिता श्री हाकंला निवासी नदी फला (मामली) उपस्थित मिले जिन्होंने मुझे एक टाईमशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ‘‘हम प्रार्थी श्री कामाराम पुत्र श्री हाकला राम एवं श्री मोहनलाल पुत्र श्री हांकला राम हम दोनो ही सगे भाई है तथा हम गांव नदी फला मामली पुलिस थाना मांडवा, जिला उदयपुर के निवासी है। दिनांक 20.03.2026 को पुलिस थाना मांडवा के थानाधिकारी साहब श्री निर्मल कुमार जी व श्री भल्लाराम जी बीट कानि. व उनके साथ थाने के स्टाफ वाले थे, जो हमारे कुछ दूरी पर श्री मनिया गमेती एवं श्री नाथू गमेती के मकान पर डोडा चूरा पकडने की कार्यवाही की थी। उसके बाद थाने वाले हमारे घर पर आये थे और घर में सभी जगह तलाशी ली और कहा कि तुम भी डोडा चूरा का धन्धा करते हो और श्री मनिया गमेती एवं श्री नाथू गमेती के केस मे तुम्हारे को मुल्जिम बना देगे और जेल भेज देगे। जिस पर हमने काफी हाथा जोडी की और कहा कि हम डोडा चूरा कोई धन्धा नहीं करते है, ना ही हमारे घर में कोई डोडा चूरा है। इस पर उन्होने ने हमारे घर में रखे हुए चॉदी के गहने ले लिये है और घर में रखे हुए 15,000 रूपये भी ले लिये थे और थानाधिकारी साहब श्री निर्मल कुमार जी व श्री भलाराम जी बीट कानि. ने कहा कि इस केस में तुम दोनो भाईयों व तुम्हारे पिताजी हाकला व काका का बेटा रमेसिया के नाम आ रहे है। तुम चारो को मुल्जिम नहीं बनना है, तो एक व्यक्ति के 5 लाख रूपये के हिसाब से चारो के 20 लाख रूपये देने होगे और कहा कि कल दिनांक 21.03.2026 को रूपये 20 लाख लेकर आ जाना नहीं तो चारो को जेल भेज देगे। हम गरीब आदमी है और हम थानाधिकारी साहब श्री निर्मल कुमार जी व श्री भलाराम जी बीट कानि. को रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाने की कार्यवाही कराना चाहते है, रिपोर्ट पेश है। उनसे ना हमारी कोई दुश्मनी है ना ही कोई लेन देन बकाया है। इसके पश्चात् परिवादीगणो को मैने रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु अवगत करवाया तो परिवादीगणो ने बताया कि कुछ समय बाद हमारे से रिश्वत राशि लेने की मंशा से श्री भल्लाराम कास्टेबल व श्री निर्मल कुमार जी थानाधिकारी साहब के यही पर आने की सूचना है। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति उक्त मकान के गेट पर मोटरसाईकिल से पहुचा तो तुरन्त ही परिवादीगण मेरे पास आये और बताया कि श्री भल्लाराम कास्टेबल मोटरसाईकिल से गेट पर पहुच गया है और वह मकान के अन्दर स्थित गार्डन की तरफ आयेगा। जिस पर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड के संचालन की समझाईश कर समय करीब 3.44 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहनलाल को डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालू कर सुपुर्द किया तथा उसके साथ उसके भाई श्री कामाराम को भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु श्री भल्लाराम कास्टेबल की तरफ रवाना किया तथा मै एक तरफ मुकिम रहा।

कुछ समय पश्चात् समय करीब 4.26 पी.एम. पर परिवादीगण मेरे पास आये तथा मुझको मोहनलाल ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू अवस्था में सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया तथा परिवादीगणो ने बताया कि श्री भल्लाराम कास्टेबल साहब से हमारी रिश्वत राशि से सम्बन्धित बातचीत हो गई है, उन्होने हम दोनो भाईयों एवं मेरे पिताजी हांकला व मेरे काका का बेटा भाई रमेसिया को एन.डी.पी.एस. के केस में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज् में श्री निर्मल कुमार जी थानाधिकारी साहब को देने के लिए कुल 20 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की उसके बाद हमने काफी हाथा जोडी की तथा ना ही इस केस से कोई लेना देना होना बताया परन्तु वह नहीं माने और कहा कि मेरे लिए तो कोई पैसा नहीं ले रहा हू यह तो थानाधिकारी साहब के है। काफी हाथा जोडी करने श्री भल्लाराम जी ने 8 लाख रूपये थानाधिकारी जी को देने की मांग की तथा स्वयं को बीट प्रभारी होने से अलग से खर्चो पानी के लिये भी बोला। उसके पश्चात् श्री भल्लाराम जी ने हमारे सामने थानाधिकारी साहब से फोन लगाकर एक तरफ जाकर बातचीत की और हमारे को आकर कहा कि थानाधिकारी साहब ने 8 लाख रूपये मे हा कर दी है और आज शाम तक या कल सुबह तक 8 लाख रूपये की व्यवस्था कर देने हेतु कहा है। इसके पश्चात् श्री भल्लाराम जी वहा से मोटरसाईकिल लेकर चले गये। परिवादीगण द्वारा उक्त मांग सत्यापन हालात बताने के पष्चात् मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सूना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त हालात से अवगत करवाने के पश्चात् परिवादीगण से भी वार्ता की गई तो श्री दलपत सिंह द्वारा बताये गये उक्त हालात की ताईद की गई, तत्पश्चात् परिवादीगण श्री मोहनलाल व श्री कामाराम को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 8 लाख रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 22.03.2026 को ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर परिवादी श्री कामाराम ने बताया कि हम गरीब आदमी है और इतनी बडी राशि 8 लाख रूपये की व्यवस्था कर आपके कार्यालय उदयपुर पर दिनांक 22.03.2026 को पहुचना संभव नहीं है क्योंकि आरोपियो द्वारा रिष्वत हेतु दबाव बनाया जा रहा है, उदयपुर आने पर उनको शंका हो जायेगी तथा जितनी राशि की व्यवस्था होगी वह लेकर अग्रिम कार्यवाही के लिये हम दोनो माण्डवा से पहले अटल सेवा केन्द्र माण्डवा के पास दिनांक 22.03.2026 को प्रातः 9.00 बजे तक उपस्थित मिलेंगे। इस पर दोनो परिवादीगणों को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को माण्डवा में ही मुकीम रहकर दिनांक 22.03.2026 को प्रातः 9.00 बजे तक अटलसेवा केन्द्र माण्डवा के पास मिलने हेतु निर्देशित किया गया। चूंकि परिवादीगण व श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जरिये दूरभाश वॉटसअप कॉल हुई वार्ता अनुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 22.03.2026 को किया जाना होने से स्वतन्त्र गवाहान की तलबी किया जाना आवश्यक होने से शनिवार राजकीय अवकाश होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान् उप वन सरंक्षक वन्य जीव उदयपुर से जरिये दूरभाष वार्ता कर दो कार्मिक स्वतन्त्र गवाहान के तौर पर ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर में दिनांक 22.03.2026 को प्रातः 6.30 ए.एम. पर भिजवाने हेतु कहा गया तथा पृथक से पत्रांक 508 दिनांक 21.03.2026 भिजवाया गया जिस पर उनके द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के रूप में श्री जितेन्द्रसिंह सहायक वनपाल व श्री रमेशकुमार मीणा वन रक्षक को पाबन्द कर भिजवाना अवगत कराया गया तथा की जाने वाली कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिये श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. उदयपुर व श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो उदयपुर को निवेदन किया गया जिनके द्वारा दिनांक 22.03.2026 को प्रातः स्टाफ को पाबन्द कर भिजवाने हेतु अवगत कराया गया। कार्यालय स्टाफ के सदस्यों को भी दिनांक 22.03.2026 को प्रातः 6.30 ए.एम. पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यवाही हेतु प्राईवेट वाहन मय चालक उपलब्ध करवाने हेतु वार्ता की गई जिनके द्वारा दो प्राईवेट वाहन मय चालक ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 22.03.2026 को प्रातः 6.30 ए.एम. पर उपस्थित होना अवगत कराया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.40 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह, श्री रमेश कुमार मीणा, श्री गुलाबसिंह के पास फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी एक प्लास्टिक की थैली में रखवाकर उसके पास ही रखने हेतु हिदायत दी गई तथा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टे^aप बाक्स इत्यादि के प्राईवेट वाहन से तथा श्री पुष्करलाल हैड कानि., श्री अजय कुमार कानि., श्री सजय सिंह कानि. जरिये प्राईवेट वाहन से मय आवष्यक संसाधन के ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर से मांडवा की तरफ रवाना होकर समय करीब 9.05 ए.एम. पर माण्डवा से पूर्व सड़क के पास ही स्थित अटल सेवा केन्द्र पर पहुॅचे जहां पर परिवादीगण व श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित मिले। परिवादीगणों को पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री कामाराम एवं श्री मोहनलाल निवासी नदी फला (मामली) होना बताया। इस पर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादीगणों की ओर से दिनांक 21.03.2026 को पेश की गई टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया तो पूर्व में बताये गये पूर्ण तथ्यों का रिपोर्ट में अंकन होना पाया गया तथा परिवादीगणों द्वारा भी पूर्व में पुलिस निरीक्षक को बताये गये हालात की ताईद की तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया जाकर परिवादीगणों एवं दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को परिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित

रहने की सहमति चाही गई जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादीगणों से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात् परिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 21.03.2026 को परिवादीगण श्री कामाराम पुत्र श्री हांकला एवं श्री मोहनलाल पिता श्री हाकंला एवं आरोपी श्री भल्लाराम कानि. पुलिस थाना माण्डवा के मध्य हुई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को चलाकर उक्त वार्ता दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो हर दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। परिवादीगणों ने बताया कि श्री भल्लाराम जी कानि. ने मांग सत्यापन के दौरान् थानाधिकारी माण्डवा के लिये आठ लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी। उक्त आठ लाख रूपये रिश्वत राशि में से हमारे द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद एक लाख रूपये की ही व्यवस्था हुई तथा शेष सात लाख रूपये हमारे द्वारा 500-500 रूपये के डमी नोटों की व्यवस्था की हैं जो अभी हमारे पास ही रखे हुए हैं।" परिवादीगणों ने बताया कि उक्त रूपयों से ही आप हमारी कार्यवाही करावे चूंकि हम गरीब आदमी है। परिवादी श्री कामाराम ने बताया कि श्री भल्लाराम जी ने मुझे रिश्वत राशि मेरे घर पर ही आज आकर लेने हेतु कहा है जो मेरे घर पर कभी भी आ सकते है। तत्पश्चात् समय करीब 10.15 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहन के समक्ष पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोहनलाल एवं सहपरिवादी श्री कामाराम से आरोपी श्री भल्लाराम कानि पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादीगण ने अपने पास से 500-500 रूपये के 200 नोट कुल राशि 1,00,000/- रूपये अक्षरे एक लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट एवं 7,00,000 रूपये के चिल्ड्रन नोट (डमी नोट) पेश किये। उपरोक्त सभी नोटो पर श्री गुलाबसिंह हैड कानि. 121, भ्रनिब्यूरो उदयपुर से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जो प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड में रखी हुई को मगवाया जाकर अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत माण्डवा, पंचायत समिति कोटडा के कार्यालय कक्ष के टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से लगवाया जाकर परिवादी मोहनलाल द्वारा पेश किया गया सफेद रंग के गमछे में रखकर उक्त गमछे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर उक्त राशि मय गमछे को एक सफेद रंग की पोलीथिन में रख कर पोलीथिन पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर उक्त राशि परिवादी श्री मोहनलाल को श्री गुलाबसिंह हैड कानि. द्वारा सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में रखे एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलवाई जाकर श्री लक्षमण सिंह, कनिष्ठ सहायक से अटल सेवा केन्द्र माण्डवा में रखी पानी की मटकी से साफ पानी मगवाकर उक्त गिलास को भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया जिसे दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादीगण को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गुलाबसिंह हैड कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री पुष्कर लाल हैड कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गुलाबसिंह हैड कानि. को सुपुर्द कर अटल सेवा केन्द्र माण्डवा पर ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द भी मुर्तिब की गई थी। तत्पश्चात् समय करीब 12.10 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह, श्री रमेश कुमार मीणा, तथा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स इत्यादि के प्राईवेट वाहन से तथा श्री पुष्करलाल हैड कानि., श्री अजय कुमार कानि., श्री सजय सिंह कानि. श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी जरिये प्राईवेट वाहन से मय आवश्यक संसाधन के अटल सेवा केन्द्र माण्डवा से परिवादीगण श्री कामाराम एवं श्री मोहनलाल के मकान गांव नदी फला (मामली) के लिए रवाना हुए तथा परिवादीगण श्री मोहनलाल एवं श्री कामाराम को उनकी निजी मोटरसाईकिल से हमारी प्राईवेट वाहन के आगे आगे चलने की हिदायत देकर रवाना होकर समय करीब 12.35 पी.एम. पर गांव नदी फला (मामली) पहुचे तथा प्राईवेट वाहनो को एकान्त स्थान पर खडा करवाया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं स्टाफ के सदस्यगण परिवादीगण के मकान के अन्दर पहुचे तथा परिवादीगणों को आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 12.38 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहनलाल को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सुपुर्द किया तथा उक्त मकान के पीछे की तरफ कच्चा छपरा में रखी हुई चारपाई के पास बैठने के लिए रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह व पुश्करलाल हैड कानि. परिवादीगण के उक्त मकान से कुछ दूरी पर अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडे रहे तथा परिवादीगण के मकान में श्री दलपतसिंह, श्री अजय कुमार, श्री संजय सिंह एवं स्वतन्त्र गवाह श्री रमेश कुमार मीणा को उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय करीब 1.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहनलाल पुलिस निरीक्षक के पास आया जिस पर मैने परिवादी श्री मोहनलाल से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द किया। जिस पर

परिवादीगण ने बताया कि काफी समय हो गया है परन्तु अभी तक श्री भल्लाराम जी नहीं आये है। जिस पर पुनः परिवादीगण को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर अपने मकान के पास इन्तजार करने की हिदायत दी गई। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आता नजर आया जिसको देखकर परिवादी ने भल्लाराम होने का गोपनीय ईशारा किया। उक्त व्यक्ति परिवादीगण के मकान के पास मोटरसाईकिल को खडी कर मकान के पीछे स्थित छपरे के अन्दर की तरफ चला गया। समय करीब 2.45 पी.एम. पर परिवादीगण के साथ साथ उक्त व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल के पास आये और परिवादी श्री मोहनलाल के हाथ में पकडी हुई थैली को उक्त व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल के साईड बेग में रखवा रहा था, उसी दौरान उक्त व्यक्ति भी बैग में थैली को सही से रखकर सेट कर रहा था। उसी दौरान परिवादीगण श्री मोहनलाल व श्री कामाराम द्वारा अपने सिर पर हाथ फेर कर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। जिस पर पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं टे्पपार्टी के सदस्यगण परिवादीगण के पास पहुचे परिवादी श्री मोहनलाल ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तपश्चात परिवादीगण ने उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री भल्लाराम जी कास्टेबल है। जिनको अभी अभी इनकी मांग के मुताबिक रिश्वत राशि 8 लाख रूपये जिसमें एक लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के तथा 7 लाख रूपये के डमी नोट (चिल्ड्रन नोट) जो एक गमछे में बन्धे हुए एक सफेद प्लास्टीक की थेली में रखे हुए सहित इन्होने इनकी मोटरसाईकिल के बेग में रखने हेतु कहा जिस पर श्री मोहनलाल ने मोटरसाईकिल के साईड बेग में रख ही रहा था और श्री भल्लाराम ने उक्त रूपये रखी हुई थेली को अपने हाथ से सही रखने के लिए सेट कर रहे थे और इसी दौरान आपको हमने पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री अजय कुमार कानि. को एवं बाया हाथ कानि. श्री सजय सिंह कानि. को कलाई से उपर पकडवाया गया। इस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री भल्लाराम कानि. नम्बर 1928, पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर होना बताया। पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री भल्लाराम कानि. को परिवादीगण से रिश्वत राशि किस कारण से ग्रहण करने के बारे में पुछा तो आरोपी ने कहा कि साहब मेरी नई नौकरी है, मुझे बचा लो, गलती हो गई, मेरा इन रूपयो में कोई लेना देना नहीं है, मैने तो यह रूपये श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डवा के कहने पर ही रूपये लिये है तथा इन रूपयो में से कुछ मुझे खर्चो पानी के रूप में देते, परन्तु यह सभी रूपये श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के कहे अनुसार ही लिये है। इस पर श्री भल्लाराम कानि. को पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाह के समक्ष पूछा कि परिवादीगणो से यह रूपये किस एवज् में श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी द्वारा रिश्वत राशि लेने हेतु कहा है, जिस पर श्री भल्लाराम कानि. ने बताया कि दिनांक 20.03.2026 को श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी मय जाप्ता पुलिस थाना माण्डवा द्वारा इन परिवादीगणो के मकान से कुछ दूरी पर एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही श्री मनीया पिता किशना गमेती निवासी साडी फला माण्डवा व श्री नाथु पिता हामता निवासी साडी फला माण्डवा के विरूद्व की गई जिसमें पुलिस थाना माण्डवा पर अलग अलग प्रकरण संख्या 34/2026 एवं 35/2026 दर्ज हुए। उक्त कार्यवाही के दोरान कामाराम व मोहनलाल के घर पर भी तलाशी वगैरा ली थी जिसमें थानाधिकारी श्री निर्मल कुमार खत्री द्वारा मुझे कहा कि कामाराम व मोहनलाल से सम्पर्क कर उनको व उनके परिवारजनो को एन.डी.पी.एस. की हुई कार्यवाही में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज् में कामाराम व मोहनलाल तथा उसके पिता हाकला व उसके परिवार का भाई रमेसिया प्रत्येक के लिए 5-5 लाख कुल 20 लाख रूपये लेने हेतु कहा जिस पर दिनांक 21.03.2026 को मै श्री कामाराम व श्री मोहनलाल से मिला और उनको श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के कहे अनुसार रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्ता की उस दौरान श्री कामाराम व मोहनलाल द्वारा राशि ज्यादा होना बताया तथा 8 लाख रूपये रिश्वत राशि तक तय होने से पूर्व मैने उसी दौरान श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाटसअप कॉल कर 8 लाख रूपये राषि के लिये बताया तो उन्होने 8 लाख रूपये कल तक व्यवस्था कर देने हेतु सहमति दी जिस पर मैने श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के सहमति अनुसार श्री कामाराम व श्री मोहनलाल को आज दिनांक 22.03.2026 को 8 लाख रूपये थानाधिकारी जी श्री निर्मल कुमार खत्री के लिए तथा अलग से मेरे खर्चे पानी के ओर देने हेतु भी कहा जिस पर अभी अभी इन्होने मुझे 8 लाख रूपये रखी रिश्वत राशि जो एक थेली मे है को मेरे मोटरसाईकिल के बेग में रखवाया और मै बेग मे रखी थेली को सही सेट कर रहा था और आप लोग आ गये। श्री भल्लाराम ने बताया कि मुझे बचा लो आप कहो तो मै थानाधिकारी श्री निर्मल कुमार खत्री के मोबाईल पर व्हाटसअप कॉल कर उनके लिए ली गई रिश्वत राशि 8 लाख रूपये के बारे में बात कर सकता हॅू। चंूकि परिवादीगण का मकान एकान्त एवं पहाडी क्षेत्र में होने मोबाईल के नेटवर्क भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति के अनुसार आरोपी श्री भल्लाराम कानि. व श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के मध्य रिश्वत राशि की वार्ता करवाया जाना आवष्यक होने हेतु मौके से नेटवर्क वाले स्थान पर रवाना होने से पूर्व आरोपी श्री भल्लाराम कानि. की निशादेही से उसकी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 19 एसडी 7404 के साईड बेग में रखी रिश्वत राशि की थेली को गवाह श्री रमेश कुमार मीणा से निकलवाई जाकर उसके पास सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री भल्लाराम कानि. को यथा स्थिति में प्राईवेट गाडी में बिठाया गया तथा पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह, श्री संजय सिंह कानि., व श्री अजय कुमार कानि. एवं श्री दलपतसिंह सहित मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर, टे्प बाक्स एवं आवश्यक सामग्री सहित घटना स्थल से

माण्डवा की ओर रवाना हुए तथा दूसरे प्राईवेट वाहन मे श्री रमेष कुमार मीणा मय रिश्वत राशि की थैली, श्री पुष्करलाल हैड कानि. परिवादीगण को प्राईवेट से पीछे पीछे माण्डवा की तरफ आने की हिदायत दी गई तथा श्री लक्ष्मण सिंह आरोपी की मोटरसाईकिल लेकर पीछे पीछे माण्डवा के लिए आने हेतु हिदायत दी गई, हम सभी घटना स्थल से समय करीब 2.55 पी.एम. पर माण्डवा की ओर रवानाषुदा घटना स्थल से माण्डवा की तरफ करीब 2-3 किलोमीटर पहुचे ओर पुर्णतया मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध होने पर अपने-अपने वाहनो को रोड के एक तरफ खडा करवाकर दोनो गवाह के समक्ष आरोपी श्री भल्लाराम कानि. को अपने मोबाईल फोन से श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी से उसके कहे अनुसार रिश्वत राशि ग्रहण सम्बन्धित वार्ता करने हेतु कहा तो श्री भल्लाराम कानि. ने रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्ता थानाधिकारी श्री निर्मल कुमार खत्री से व्हाटसअप कॉल पर ही कर सकता है, जिस पर उसे व्हाटसअप कॉल कर करने हेतु कहा गया तो श्री भल्लाराम कानि. ने अपने मोबाईल नम्बर से श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के मोबाईल नम्बर पर समय करीब 3.06 पी.एम. पर जरिये व्हाटसअप कॉल लगवाया जाकर मोबाईल कॉल को लाउडस्पीकर पर ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रखा जाकर श्री भल्लाराम कानि. एवं श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के मध्य हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित मन् पुलिस निरीक्षक के पास रखा। उक्त वार्तानुसार श्री भल्लाराम कानि. द्वारा परिवादीगणो से ग्रहण की गई रिश्वत राशि में से श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी की मिलीभगत से लेने की पुष्टि हुई। चूंकि उक्त वार्ता अनुसार श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी को डिटेन किया जाना आवष्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान सहित श्री भल्लाराम कानि. को साथ लेकर रवाना होकर समय करीब 3.30 पी.एम. पर पुलिस थाना माण्डवा पर पहुचे जहां श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी अपने सरकारी क्वार्टर पर उपस्थित होने से मन् पुलिस निरीक्षक व दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं ब्यूरो जाप्ता श्री दलपत सिंह व श्री पुष्करलाल हैड कानि. सहित श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के सरकारी क्वार्टर के मुख्य दरवाजे पर पहुचे और गेट पर अन्दर से आये एक व्यक्ति को अपना परिचय पूछा उसने अपना नाम निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डावा जिला उदयपुर होना बताया। जिसे पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहियान का परियच देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर उसे अपने साथ लेकर पुलिस थाना माण्डवा के थानाधिकारी कक्ष के पास कार्यालय कक्ष में पहुचे तथा श्री भल्लाराम कानि. को भी यथा स्थिति में उक्त कक्ष में बिठाया गया। तत्पष्चात् इस समय करीब 3.40 पी.एम. पर अग्रिम करते हुए दोनो गवाह के समक्ष श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डवा को दिनांक 20.03.2026 को उनके व पुलिस थाना माण्डवा के जाप्ते द्वारा श्री कामाराम व श्री मोहनलाल के घर से कुछ दूरी पर एन. डी.पी.एस. की कार्यवाही श्री मनीया पिता किशना गमेती निवासी साडी फला माण्डवा व श्री नाथु पिता हामता निवासी साडी फला माण्डवा के विरूद्व की गई जिसमें पुलिस थाना माण्डवा पर अलग अलग प्रकरण संख्या 34/2026 एवं 35/2026 दर्ज हुए। उक्त कार्यवाही के दोरान कामाराम व मोहनलाल के घर पर भी तलाषी वगैरा ली थी जिसमें आपके द्वारा श्री भल्लाराम कानि. को श्री कामाराम व मोहनलाल से सम्पर्क कर उनको व उनके परिवारजनो को एन.डी.पी.एस. की हुई कार्यवाही में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज् में कामाराम व मोहनलाल तथा उसके पिता हाकला व उसके परिवार का भाई रमेसिया प्रत्येक के लिए 5-5 लाख कुल 20 लाख रूपये लेने हेतु कहा जिस पर दिनांक 21.03.2026 आपके कहे अनुसार श्री भल्लाराम कानि. द्वारा श्री कामाराम व श्री मोहनलाल से मिला और उनको आपके कहे अनुसार रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्ता की उस दौरान श्री कामाराम व मोहनलाल द्वारा राशि ज्यादा होना बताया तथा 8 लाख रूपये रिश्वत राशि तक तय होने से पूर्व श्री भल्लाराम कानि. ने अपने मोबाईल नम्बर से आपके मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाटसअप कॉल पर वार्ता की गई तथा दिनांक 22.03.2026 को परिवादीगणो से आरोपी श्री भल्लाराम कानि. द्वारा 8 लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने के बाद उक्त रिश्वत राशि श्री भल्लाराम कानि. द्वारा आपके लिये ग्रहण करना मौके पर बताया जिसके पष्चात् उसकी पुष्टि करने हेतु श्री भल्लाराम कानि. के मोबाईल नम्बर से आपके मोबाईल नम्बर पर समय करीब 3.06 पी.एम. पर जरिये व्हाटसअप कॉल लगवाया जाकर मोबाईल कॉल को लाउडस्पीकर पर ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रखा जाकर श्री भल्लाराम कानि. एवं आपके मध्य हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्तानुसार श्री भल्लाराम कानि. द्वारा परिवादीगणो से ग्रहण की गई 8 लाख रूपये रिश्वत राशि मै आपकी संलिप्तता पाई। आपके द्वारा परिवादीगणो से श्री भल्लाराम कानि. को 8 लाख रूपये किस एवज् में ग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर से पूछा गया तो उन्होने बताया कि मैने श्री भल्लाराम कानि. को मना किया था, कुछ समय पश्चात् बताया कि गलती हो गई है जो भी बचाव हो करना। इस पर उपस्थित परिवादीगण श्री मोहनलाल एवं श्री कामाराम ने पुलिस निरीक्षक को दोनो गवाह के समक्ष बताया कि इन थानेदार साहब व श्री भल्लाराम जी व पुलिस थाना माण्डवा के स्टाफ वाले दिनांक 20.03.2026 को हमारे घर से कुछ दूरी पर श्री मनिया गमेती एवं श्री नाथू गमेती के मकान पर डोडा चूरा पकडने की कार्यवाही की थी। उसके बाद थाने वाले हमारे घर पर आये थे और घर में सभी जगह तलाशी ली और कहा कि तुम भी डोडा चूरा का धन्धा करते हो और श्री मनिया गमेती एवं श्री नाथू गमेती के केस मे तुम्हारे को मुल्जिम बना देगे और जेल भेज देगे। जिस पर हमने काफी हाथा जोडी की और कहा कि हम डोडा चूरा कोई धन्धा नहीं करते है, ना ही हमारे घर में कोई डोडा चूरा है। इस पर उन्होने ने हमारे घर में रखे हुए चॉदी के

गहने ले लिये है और घर में रखे हुए 15,000 रूपये भी ले लिये थे और हमारी मोटरसाईकिल आर जे 27 ए एक्स 9743 टीवी एस अपाचे भी इन्होने चाबी लेकर हमारे को थानाधिकारी साहब श्री निर्मल कुमार जी व श्री भलाराम जी बीट कानि. ने कहा कि इस केस में तुम दोनो भाईयों व तुम्हारे पिताजी हाकला व काका का बेटा रमेसिया के नाम आ रहे है। तुम चारो को मुल्जिम नहीं बनना है एक व्यक्ति के 5 लाख रूपये के हिसाब से चारो के 20 लाख रूपये देने पडे़गे और कहा कि दिनांक 21.03.2026 को रूपये 20 लाख लेकर आ जाना नहीं तो चारो को जेल भेज देगे। उसके बाद इन्होने व थाने के स्टाफ ने हमारी मोटरसाईकिल व चांदी के गहने व 15,000 रूपये लेकर चले गये थे। दिनांक 21.03.2026 को श्री दलपतसिंह जी हमारे से मिले और उन्होने हमारे पास श्री भल्लाराम जी के आने से पूर्व टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया था जो मुझ मोहनलाल के पास रखा और हम दोनो ने श्री भल्लाराम जी से बातचीत की और बातचीत के समय उन्होने हमारे को मुल्जिम नहीं बनाने की एवज् में 20 लाख रूपये मांग की जिस पर हमारे द्वारा काफी हाथा जोडी करने पर 8 लाख रूपये रिश्वत राशि देना तय हुआ था। बातचीत के समय श्री भल्लाराम जी ने एक तरफ जाकर थानेदार साहब श्री निर्मल कुमार जी से भी फोन पर बात की थी, उसके बाद श्री भल्लाराम जी ने कहा कि यह 8 लाख रूपये तो थानेदार साहब के ही है, और मै बीट प्रभारी हू तो मेरा अलग से खर्चा पानी मांगा था। परन्तु कुल 8 लाख रूपये देना तय हुआ था उक्त बातचीत को टेप रिकॉर्डर में टेप किया था। इस पर श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी व श्री भल्लाराम कानि. को परिवादीगण के घर से दिनांक 20.03.2026 को चांदी के गहने व 15,000 रूपये के बारे में पूछा तो उन्होने उक्त गहने व रूपये लेने से इन्कार किया तथा परिवादीगणों की मोटरसाईकिल के बारे में पूछा तो श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी ने कहा कि मोटरसाईकिल थाने पर दर्ज प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जप्ती नहीं है, परन्तु मोटरसाईकिल लेकर आये जो थाना परिसर में ही खडी है। इस पर परिवादीगण की मोटरसाईकिल की चाबी के बारे में पूछने पर थाने के कक्ष में रखी होना श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी ने बताया जिसकी निशादेही से मोटरसाईकिल की चाबी मंगवाई गई जो पृथक से परिवादीगण को सुपुर्द की जायेगी। चूंकि आरोपी श्री भल्लाराम कानि. द्वारा परिवादी श्री मोहनलाल से रिश्वत राशि अपनी मोटरसाईकिल के बेग में रखवाये गये थे तथा उक्त बेग में रखते समय श्री भल्लाराम कानि. द्वारा उक्त रिश्वत राशि को बेग में सही सेट करते समय अपने हाथ से छूवा गया इसलिए उक्त आरोपी के दोनो हाथो एवं मोटरसाईकिल के बेग का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री पुष्करलाल हैड कानि. से प्राईवेट वाहन से ट्रैप बाक्स को मगवाकर ट्रैप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदशि डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भल्लाराम कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया मटमेला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भल्लाराम कानि. के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर षिषियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाह के साथ श्री भल्लाराम कानि. द्वारा घटना स्थल पर लेकर आये मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 19 एसडी 7404 के साईड बेग को खुलवाया जाकर उसका नियमानुसार धोवन लिया जाने हेतु इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे श्री पुष्करलाल हैड कानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर श्री पुष्करलाल हैड कानि. से एक कपडे की छिन्दी को बेग में घुमाया जाकर उक्त रंगहीन घोल के गिलास में डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क B-1 व B-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् उक्त रिश्वत राशि बरामदगी बेग बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर नियमानुसार सीलचिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क B अंकित किया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् श्री भल्लाराम कानि. की मोटरसाईकिल के साईड बेग से घटना स्थल पर श्री भल्लाराम कानि. की निशादेही से रिश्वत राशि थेली मे रखी हुई सहित गवाह श्री रमेश कुमार मीणा के पास सुरक्षित रखवाई गई थी जिसे पेश करने हेतु कहने पर उसने अपने पास रखी प्लास्टिक की थैली पेश की, जिसे चैक करवाया गया तो 500-500 रूपये की गड्डिया होना पाया गया, जिसे दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाई गई तो उसमें 500-500 रूपये के 200 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 1,00,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 1400 डमी नोट कुल 7,00,000 रूपये इस प्रकार कुल 8,00,000 रूपये होना बताया गया। जिस पर पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेषकसी एवं सुपूर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो मिलान हु ब हु होना पाया गया तथा 500-500 रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के

200 नोट कुल राशि 1,00,000 रूपये के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाया गया। उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये एवं डमी नोट 7,00,000 रूपये को भी अलग से कपडे की थैली में रखवाये जाकर सिलबन्द कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् उक्त रिश्वत राशि जो परिवादी द्वारा आरोपी श्री भल्लाराम कानि. को एक सफेद कपडे का गमछा बाधकर उसे एक सफेद प्लास्टिक की थेली में रखकर आरोपी की मोटरसाईकिल के बेग में रखवाई थी, उक्त सफेद कपडे के गमछे एवं सफेद प्लास्टिक की थेली को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर नियमानुसार सीलचिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P अंकित किया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह से लिवायी गयी तो आरोपी श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी के पहनी हुई लॉवर की दाहिनी जेब में एक वीवो एक्स 300 मोबाईल मिला। जिसे पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जायेगा। इसी प्रकार आरोपी श्री भल्लाराम कानि. की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह से लिवायी गयी तो आरोपी की पहनी जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में एक वीवो वाई 200 5जी मोबाईल मिला। जिसे पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जायेगा। चूकिं आरोपी श्री भल्लाराम कानि. मोटरसाईकिल RJ19SD7404 से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु परिवादीगण के मकान पर पहुचा तथा रिश्वत राशि भी घटना स्थल पर उक्त मोटरसाईकिल के साईड बेग से बरामद हुई है जिसे नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जाकर पुलिस थाना माण्डवा को सुरक्षा की दृटि से रखने हेतु सुपुर्द की जायेगी। इसके अलावा दोनो आरोपीगण से कोई वस्तु नहीं मिली ना ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल अकब से मूर्तिब किया जायेगा। उक्त बरामदगी की कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री अजय कुमार कानि. 456 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा टाईप की गई तथा फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादीगण एवं आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, लेन देन वार्ता एवं व्हाटसअप कॉल वार्ता पृथक से मूर्तिब की जाकर आरोपीगण श्री निर्मल कुमार खत्री थानाधिकारी एवं श्री भल्लाराम कानि. 1928, पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से तथा दिनांक 21.03.2026 को परिवादीगण श्री मोहनलाल एवं श्री कामाराम से आरोपी श्री भल्लाराम कानि. 1928, पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि रूबरू वार्ता एवं दिनांक 22.03.2026 को परिवादीगण एवं आरोपीगण श्री भल्लाराम कानि. 1928 से हुई रिश्वत राशि लेन देन रूबरू वार्ता एवं श्री निर्मल कुमार थानाधिकारी की भल्लाराम कानि. की हुई व्हाटसअप कॉल वार्ता आरोपीगण द्वारा परिवादीगण श्री मोहनलाल एवं श्री कामाराम तथा उसके पिताजी व परिवारजन को एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज् में प्रत्येक से 5 लाख रूपये के हिसाब चारो के 20 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगकर 8,00,000 रूपये रिश्वत राशि लेन हेतु स्वीकारोक्ति देना तथा दिनांक 22.03.2026 को अपनी मांग अनुसार आरोपीगण द्वारा उक्त राशि ग्रहण की गई। आरोपीगण श्री निर्मल कुमार थानाधिकारी एवं श्री भल्लाराम कानि. 1928, पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर के द्वारा किया गया कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस.एस.-2023 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण श्री भल्लाराम पटेल पुत्र श्री भींयाराम उम्र 38 वर्ष निवासी गांव झवर पुलिस थाना झवर जिला जोधपुर हाल कानि नम्बर 1928, पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर एवं श्री निर्मल कुमार खत्री पुत्र श्री जवानमल उम्र 42 वर्ष निवासी तोपखाने के पीछे जिला जालौर हाल थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) पुलिस निरीक्षक प्रभारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे- उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1- श्री भल्लाराम पटेल पुत्र श्री भींयाराम उम्र 38 वर्ष निवासी गांव झवर पुलिस थाना झवर जिला जोधपुर हाल कानि नम्बर 1928, पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर एवं 2- श्री निर्मल कुमार खत्री पुत्र श्री जवानमल उम्र 42 वर्ष निवासी तोपखाने के पीछे जिला जालौर हाल थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरिशचन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 816 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 553-57 दिनांक 25.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर 3- पुलिस अधीक्षक, उदयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे- उदयपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HARISHCHANDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/03/2026 11:20:51

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				
2	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)